# कितना पाया, कितना बाकी है
# भारत में महिला आंदोलन के दो दशक
# (1975 से 1995)

सुहास कुमार

फर्ज़ करते करते, एक दिन जो उठाया सर
मुट्ठी से फिसल फिसल गए मेरे हक़
बहुत सह चुके, एक आंधी उठने को है अब

कुछ इसी भावना से जन्म हुआ महिला आंदोलन का। चाहे परिवार हो या समाज, आर्थिक क्षेत्र हो या राजनैतिक, शैक्षिक हो या कार्य के विभिन्न क्षेत्र, महिलाओं के साथ हमेशा भेदभाव होता है। दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। मानों वे पुरुषों की तरह इंसान न हों। दलील यह दी जाती है कि प्रकृति ने ही उन्हें भिन्न बनाया है। मतभेद यहां नहीं है। मतभेद तब शुरू होता है जब महिलाओं को हीन, कमज़ोर क़रार करके सामाजिक व्यवस्था में दोयम स्थान दिया जाता है।

महिलाओं की अपने हक़ों की लड़ाई बहुत पुरानी नहीं तो बहुत नई भी नहीं है। सन् 1970 का दशक महत्वपूर्ण इस मायने में है कि उसमें इस आंदोलन को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली।

### अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 1975

**महिलाओं के लिए निर्धारित लक्ष्य**

- साक्षरता व शिक्षा में उल्लेखनीय बढ़ोतरी
- साधनों तक बराबर की पहुंच
- रोज़गार के ज़्यादा अवसर
- सब तरह के भेदभाव मिटाना
- नीति निर्धारण प्रक्रिया में महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी
- कल्याण सेवाओं में बढ़ोतरी
- नागरिक, सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रों में बराबरी के अधिकार
- महिलाओं के काम का आर्थिक मोल
- कृषि, औद्योगिकी तथा सहायक सेवाओं को विकसित करते समय महिलाओं को ध्यान में रखना

इस दशक में भारत में महिलाओं की स्थिति आंकने के लिए एक आयोग बना जिसकी रपट प्रकाशित हुई 1974 में। इससे काफ़ी हलचल मची। महिलाओं की मेहनत के अनुपात में उन्हें मिलने वाला फायदा बहुत कम है, यह साफ़ तौर से सामने आया। 1974 में भारत में पहली बार महिला दिवस मनाया गया। 8 मार्च '74 के जुलूस में 700 महिलाओं ने भाग लिया। खेतिहर मज़दूर से लेकर बैंक अफसर तक इसमें शामिल हुई।

उसी साल त्रिवेन्द्रम में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें ग्रामीण व शहरी स्त्री-पुरुषों, सभी ने भाग लिया। 1980 से 1994 तक कई राष्ट्रस्तरीय सम्मेलन देश के कई भागों में हो चुके हैं।

1970 के दशक से ही यह बात बहुत तीव्रता से महसूस की जा रही है कि आंदोलन व्यापक व सार्थक तभी बनेगा जब इसका एक व्यापक आधार हो। जब ज़मीन से जुड़ी महिलाएं एकजुट हों। 1980 के दशक में इस संबंध में कई गतिविधियां चलीं। सरकार ने भी महिला विकास संबंधी कई कार्यक्रम शुरू किए। इनमें महिलाओं की शिक्षा और जागरूकता पर विशेष ज़ोर दिया गया।

**उपलब्धियां**

देश में साक्षरता अभियानों की लहर ने इस दशक में ज़ोर पकड़ा। इनमें पढ़ने तथा पढ़ाने वालों में दो-तिहाई भागीदार महिलाएं थीं। आंध्र प्रदेश के नैल्लौर ज़िले में नव साक्षर महिलाओं ने शराब विरोधी आंदोलन चलाया। इसकी सफल परिणति के फलस्वरूप इस वर्ष पूरे आंध्र प्रदेश में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। देश के अनेक भागों में महिलाओं ने शराब विरोधी आंदोलन चलाया है।

साक्षरता से जागरूकता आई है और एक नया आत्मविश्वास जगा है। तमिलनाडू के पुदुकोट्टाई ज़िले में ट्राइसेम योजना के तहत् हज़ारों की संख्या में महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा। एक नई आज़ादी व आत्मनिर्भरता का अहसास जगा। पुदुकोट्टाई में ही गरीब पिछड़े वर्ग की महिलाएं पिछले चार साल से 170 पत्थर की खदानों की ठेकेदारी का काम संभाल रही हैं।

*"उत्तर प्रदेश के सोनपुर गांव की महिलाओं ने बेईमान राशन दुकानदार के खिलाफ़ विद्रोह किया। खुद कोशिश करके प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर, एक हफ्ते के अंदर राशन की दुकान का जिम्मा महिला मंडल को दिलवाया।"*

*"अजमेर ज़िले के बुहारू गांव में महिला समूह बने हैं। इनसे ताक़त पाकर आज महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो पा रही हैं। तमाम फैसले जो पहले नहीं ले पाती थीं आज ले सक रही हैं। विकास कार्यक्रमों में शामिल किए जाने की लड़ाई लड़ रही हैं।"*

*"राजस्थान के सिलौड़ा गांव में आज से 20 साल पहले जब स्वास्थ्य कार्यकर्ता बच्चों को टीका वगैरह लगाने जाते थे तो महिलाएं गानों द्वारा शैतान के आगमन की सूचना देती थीं। आज वहां सिर्फ़ उनके स्वागत के गीत गाए जाते हैं।"*

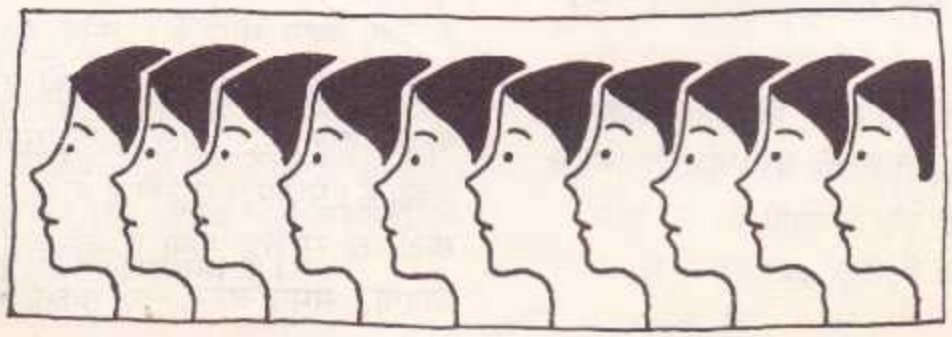

## बदलती धारा

देश के अनेक भागों में महिला समूह व सामाजिक संगठन बने हैं और अपने हक़ों की लड़ाई जारी है। महिलाओं के खिलाफ़ हिंसा को स्वीकारा गया है। महिला पुलिस स्टेशन व पुलिस स्टेशनों पर महिला कक्ष बने हैं। विशेष महिला पुलिस अफ़सर भी नामांकित की जाने लगी हैं। साधारण कपड़ों में रहने वाली इन महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार मिले हैं। यह घरों में तलाशी ले सकती हैं, गिरफ्तारी भी करवा सकती हैं।

आज बलात्कार व पारिवारिक हिंसा पर खुलकर बातचीत हो पाती है। यह भी महिला आंदोलन की उपलब्धि है। महिलाओं के खिलाफ़ बढ़ती हिंसा का एक दूसरा पहलू भी है। हिंसा के तथ्य अब ज्यादा खुलासा होकर सामने आ रहे हैं। महिलाओं की सदियों की खामोशी टूटी है। बलात्कारी का मुंह काला किया जाना चाहिए, न कि बलात्कार की शिकार महिला का तिरस्कार। ऐसी सोच अब बन रही है।

महिलाओं की समस्याएं केवल उनकी व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हैं। अगर परिवार में निर्णय प्रक्रिया में उनकी हिस्सेदारी नहीं है तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, महिलाएं ज्यादा बच्चे नहीं चाहतीं। लेकिन फैसला उनके हाथ में नहीं है। ज्यादा जनसंख्या व गरीबी की समस्या क्या पूरे देश की समस्या नहीं है? नई आर्थिक नीतियों से बढ़ती महंगाई, उनके लिए रोज़गार के अवसरों की कमी, बिगड़ता पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों से मिलने वाले फायदों पर रोक क्या सिर्फ औरतों की समस्याएं हैं?

## असफलताएं

कई सफलताओं के बावजूद हमें यह स्वीकारना पड़ता है कि सामाजिक बदलाव व समाज की सोच में बदलाव काफी कम हुआ है। अभी हाल में उत्तराखंड की रैली में जाने वाली महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना के संदर्भ में एक ज़िलाधीश का कथन था—"जब ईंटबाज़ी चल रही थी तो औरतें गन्ने के खेत में जाकर छिप गईं। अब ऐसे में तो कोई भी उनका बलात्कार करने पर उतारू हो सकता है।"

महिलाओं को वस्तु के रूप में देखे जाने में कोई अंतर नहीं आया है। घरों में मारपीट, दहेज की मांग, दहेजहत्या, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, लड़कियों की देखभाल में लापरवाही, लड़कियों की शिक्षा पर कम महत्व दिया जाना, उन्हें बोझ समझा जाना, उनके जन्म पर कोई खास खुशी न मनाना, काम का दोहरा बोझ, समान वेतन का न मिलना, राजनीति में नगण्य भागीदारी सब बदस्तूर चल रहा है।

क़ानूनों में संशोधन के बावजूद उनके लागू होने के आंकड़े नहीं के बराबर हैं। एकल औरत को अभी भी शक़ की निगाहों से देखा जाता है।

## निष्कर्ष

कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बीस वर्षों का समय किसी बदलाव की प्रक्रिया के आंकलन के लिए बहुत थोड़ा है। अनेक पुरुष आरक्षित क्षेत्रों में महिलाएं प्रवेश पा चुकी हैं। सबसे हाल का उदाहरण थल, जल व वायुसेना में उनका प्रवेश है। पंचायतों में औरतों के लिए एक-तिहाई सीटों का संरक्षण गांवों में बुनियादी बदलाव लाएगा। समय जरूर लग सकता है।

बदलाव अभी बड़े शहरों में ज्यादा दिखता है। गांवों में अभी कमोबेशी हालात वैसे ही हैं। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के बावजूद महिलाओं को पंचायतों में प्रवेश मुश्किल से मिल पा रहा है। गांव के पुरुषों व राजनैतिक पार्टियों की घुसपैठ इसका मुख्य कारण है। महिलाएं चुनाव जीत सकती हैं यह कर्नाटक में साबित हो चुका है। वहां ग्राम पंचायतों में 44 फी सदी महिलाएं चुनाव जीतीं।

महिला आंदोलन की मांग के कारण राष्ट्रीय महिला आयोग बना। यह आंदोलन की असफलता ही कही जाएगी कि आंदोलन से जुड़ी एक भी महिला इसकी सदस्य नहीं बनाई गई। यह एक अर्ध-सरकारी संस्था बन कर रह गई है। शहरों में ब्याह की उम्र बढ़ रही है। गांवों में अभी भी बाल व कम उम्र विवाह हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी यही अंतर दिखता है। महिला आंदोलन की सबसे बड़ी असफलता यह है कि अभी एक बुनियादी ठोस व्यापक आधार नहीं बन पाया है। जब तक हम गांवों तक पहुंचकर जागरुकता नहीं फैलाएंगे हमारा काम व सफलता आधी अधूरी ही रहेगी।

जितना रास्ता हमने पार किया है उससे कहीं लंबा रास्ता पार करना बाकी है। यह बढ़े हुए कदम अब आगे ही बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। □

**औरतें न तो दीन हैं न हीन।**
**प्रकृति ने उनको बहुत सी ताक़तें दी हैं।**
**महिला आंदोलन का उद्देश्य उन्हें बराबरी के इंसान का दर्जा दिलवाना है।**